

न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 06/2011

वादीया	बनाम	प्रतिवादीगण
तलसी देवी पुत्री रामाजी कौम मेगवाल सा0 रानीवाडाकला तहसील रानीवाडा		1. मृतक भेराराम पुत्र जगताजी के कायम मूकाम वारीसान :- 1/1 लवजी 1/2 मसरा पिसरान भेराराम 1/3 डाई पुत्री भेराराम 1/4 गेरी पत्नि भेराराम 2. ईराराम पुत्र जगताजी 3. रूडाराम पुत्र जगताजी 4. गेमाराम पुत्र जगताजी 5. नारणाराम पुत्र जगताजी 6. उगराराम पुत्र जगताजी 7. रेवा पुत्र प्रभाजी 8. जेरा पुत्र रामाजी 9. अल्पेश पुत्र रमेश 10. नयना पुत्री रमेश 11. रेवी पत्नि रमेश 12. शान्तीबेन पुत्री रामाजी 13. वदूदेवी पत्नि रामाजी (वदूदेवी फौत होने से पक्षकार से हटाया गया) कौम मेगवाल सा0 रानीवाडाकला तहसील रानीवाडा जिला जालोर 14. उप पंजीयक, रानीवाडा 15. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा 16. हल्का पटवारी रानीवाडा कला 17. शाखा प्रबन्धक ज.स.भू.वि.बैंक शाखा रानीवाडा

दावा बाबत खातेदारी हकों की घोषणा, बंटवाडा एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

1. वादिया के अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई उपस्थित ।
2. प्रतिवादियागण सं0 2 से 7 के अधिवक्ता श्री जबराराम पुरोहित उपस्थित ।
3. प्रतिवादी सं0 9 से 11 के अधिवक्ता श्री केशरदान चारण उपस्थित ।
4. प्रतिवादी सं0 12 व 13 के अधिवक्ता श्री रमेशकुमार सैन उपस्थित ।
5. प्रतिवादी सं0 14 से 16 के राज पैरोकार तहसीलदार रानीवाडा उपस्थित ।

—: निर्णय :-

दिनांक 18.01.2023

1. वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में दिनांक 01.04.2021 को मौजा रानीवाडा कलां की खातेदारी
आराजी खेत खसरा नंबर 716, 1176, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862,



1863, 1864, 1865 रकबा क्रमशः 4.07, 0.01, 1.50, 0.13, 0.23, 0.38, 0.52, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01 0.069 हेक्ट० जुमले रकबा 7.57 हेक्ट.की आराजी में तीसरा हिस्सा अर्थात 2.52 हेक्ट. की आराजी में से रामाजी पुत्र प्रभाजी के फौत होने पर उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी वादीया तुलसीदेवी, प्रतिवादी सं० 8 जेरा पुत्र रामाजी व प्रतिवादी सं. 9 से 11 (रमेश पुत्र रामाजी) प्रतिवादी सं. 12 शान्ताबेन पुत्री रामाजी व प्रतिवादी सं० 13 वदूदेवी पत्नि रामाजी की 1/3 हिस्से में से प्रत्येक वादी व प्रतिवादी के 1/5 हिस्से के खातेदारी हको की घोषणा की जाकर उक्त वादग्रस्त आराजी में से 1/3 हिस्से की आराजी 2.52 हेक्ट. में से प्रत्येक के हिस्से में बराबर 1/5 हिस्से के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर बंटवाडा किये जाने की प्राथमिक डिक्री के आदेश जारी किये गए थे। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/कोर्ट/2021/398 दिनांक 19.04.2021 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/ राज./ 2022/1040 दिनांक 16.12.2022 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया।

2. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की तहसीलदार रानीवाडा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन करने व उभयपक्षकारान अधिवक्ता के बहस तथ्यों पर मनन करने पर हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार रानीवाडा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीया व प्रतिवादी संख्या 1/1 से 12 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे० में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्टे० में	किस्म	नक्शा ट्रेष में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	तुलसीदेवी पुत्री रामा हि. पूर्ण कौम मेगवंशी सा० देह	1856	1.50	0.2320	चा.उ.	गुलाबी	नियमा नुसार
		716	4.07	0.2700	बा.प्र.		
2.	जेरा पुत्र रामा 1/2, शान्तादेवी पुत्री रामा 1/2 कौम मेगवंशी सा० देह खातेदार	1856	1.50	0.4480	चा.उ. जा.Aउ.	हरा	नियमा नुसार
		1857	0.13	0.0160	बंजड़		
3	वदुदेवी पत्नि रामा 1/2, अलपेश पुत्र रमेश 1/6, नयना पुत्री रमेश 1/6 रेवी पत्नि रमेश 1/6 कौम मेघवंशी सा० देह खातेदार	1856	1.50	0.0480	चा.उ.	काला	नियमा नुसार
		1857	0.13	0.0240	बंजड़		
		1858	0.23	0.2300	चा.उ. जा.Aउ.		

		1859	0.38	0.1620	चा.उ. जा.Aउ.		
4.	शान्तादेवी पुत्री रामा 1/4, वदूदेवी पत्नि रामा 1/4, जेरा पुत्र रामा 1/4, अलपेश पुत्र रमेश 1/12, नयना पुत्री रमेश 1/12, रेवी पत्नि रमेश 1/12 कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार	716	4.07	1.09	बा.प्र.	पीला	नियमा नुसार
5.	ईराराम पुत्र जगता 1/12 रहन – जासभूवि. बैंक शाखा रानीवाडा, उगराराम पुत्र जगता 1/12, गेमराराम पुत्र जगता 1/12, नारणाराम पुत्र जगता 1/12, भेराराम पुत्र जगता 1/12, रूडाराम पुत्र जगता 1/12, कालाराम पुत्र रेवा 1/8, तगाराम पुत्र रेवा 1/8, मणी पुत्री रेवा 1/8, सीता पुत्री रेवा 1/8 कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार	1176	0.01	0.01	चा.उ.	बैंगनी	नियमा नुसार
		1856	1.50	0.7720	चा.उ. जा.Aउ.		
		1857	0.13	0.0900	बंजड़		
		1859	0.38	0.2180	चा.उ. जा.Aउ.		
		1860	0.52	0.5200	चा.उ.		
		1861	0.01	0.01	गै.मू. ढाणी		
		1862	0.01	0.01	गै.मू. बेरा		
		1863	0.01	0.01	गै.मू. सड़ा		
		1864	0.01	0.01	गै.मू. सड़ा		
		1865	0.69	0.69	चा.उ. जा.Aउ.		
		716	4.07	2.71	बा.प्र.		

- तहसीलदार रानीवाडा से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव में प्रतिवादी संख्या 1 भेराराम पुत्र जगताजी व प्रतिवादी संख्या 13 वदूदेवी पत्नि रामाजी फौत हो चुके हैं, जिनके कायम मूकाम वारीसान रेकर्ड पर लिये जा चुके हैं। जिसकी जांच उपरांत नियमानुसार इनके विधिक वारीसान का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जावे।
- उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीया व प्रतिवादी संख्या 1/1 से 12 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादीया

व प्रतिवादी संख्या 1/1 से 12 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला-जालोर

निर्णय आज दिनांक 18.01.2023 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला-जालोर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल्स 6-7, जाब्ता दीवानी)
(civil procedure code, Appendix "D"-1)
अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

वादीया	बनाम	प्रतिवादीगण
तलसी देवी पुत्री रामाजी कौम मेगवाल सा0 रानीवाडाकला तहसील रानीवाडा		<ol style="list-style-type: none"> 1. मृतक भेराराम पुत्र जगताजी के कायम मूकाम वारीसान :- 1/1 लवजी 1/2 मसरा पिसरान भेराराम 1/3 डाई पुत्री भेराराम 1/4 गेरी पत्नि भेराराम 2. ईराराम पुत्र जगताजी 3. रूडाराम पुत्र जगताजी 4. गेमाराम पुत्र जगताजी 5. नारणाराम पुत्र जगताजी 6. उगराराम पुत्र जगताजी 7. रेवा पुत्र प्रभाजी 8. जेरा पुत्र रामाजी 9. अल्पेश पुत्र रमेश 10. नयना पुत्री रमेश 11. रेवी पत्नि रमेश 12. शान्तीबेन पुत्री रामाजी 13. वदूदेवी पत्नि रामाजी (वदूदेवी फौत होने से पक्षकार से हटाया गया) कौम मेगवाल सा0 रानीवाडाकला तहसील रानीवाडा जिला जालोर 14. उप पंजीयक, रानीवाडा 15. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा 16. हल्का पटवारी रानीवाडा कला 17. शाखा प्रबन्धक ज.स.भू.वि.बैंक शाखा रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 06/2011

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीया की ओर से वकील श्री मोहनलाल विश्णोई उपस्थित, प्रतिवादी सं0 2 से 7 के वकील श्री जबराराम पूरोहित, प्रतिवादी संख्या 9 से 11 के श्री वकील श्री केशरदान चारण, प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के वकील श्री रमेशकुमार सैन व प्रतिवादी संख्या 14 से 16 राजपेरोकार उपस्थित । मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तहसीलदार रानीवाडा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीया व प्रतिवादी संख्या 1/1 से 12 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्टे0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि

1.	तुलसीदेवी पुत्री रामा हि. पूर्ण कौम मेगवंशी सा० देह	1856	1.50	0.2320	चा.उ.	गुलाबी	नियमा नुसार
		716	4.07	0.2700	बा.प्र.		
2.	जेरा पुत्र रामा 1/2, शान्तादेवी पुत्री रामा 1/2 कौम मेगवंशी सा० देह खातेदार	1856	1.50	0.4480	चा.उ. जा.अउ.	हरा	नियमा नुसार
		1857	0.13	0.0160	बंजड़		
3	वदुदेवी पत्नि रामा 1/2, अलपेश पुत्र रमेश 1/6, नयना पुत्री रमेश 1/6 रेवी पत्नि रमेश 1/6 कौम मेघवंशी सा० देह खातेदार	1856	1.50	0.0480	चा.उ.	काला	नियमा नुसार
		1857	0.13	0.0240	बंजड़		
		1858	0.23	0.2300	चा.उ. जा.अउ.		
		1859	0.38	0.1620	चा.उ. जा.अउ.		
4.	शान्तादेवी पुत्री रामा 1/4, वदुदेवी पत्नि रामा 1/4, जेरा पुत्र रामा 1/4, अलपेश पुत्र रमेश 1/12, नयना पुत्री रमेश 1/12, रेवी पत्नि रमेश 1/12 कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार	716	4.07	1.09	बा.प्र.	पीला	नियमा नुसार
5.	ईराराम पुत्र जगता 1/12 रहन - जासभूवि. बैक शाखा रानीवाडा, उगराराम पुत्र जगता 1/12, गेमाराम पुत्र जगता 1/12, नारणाराम पुत्र जगता 1/12, भेराराम पुत्र जगता 1/12, रूडाराम पुत्र जगता 1/12, कालाराम पुत्र रेवा 1/8, तगाराम पुत्र रेवा 1/8, मणी पुत्री रेवा 1/8, सीता पुत्री रेवा 1/8 कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार	1176	0.01	0.01	चा.उ.	बैंगनी	नियमा नुसार
		1856	1.50	0.7720	चा.उ. जा.अउ.		
		1857	0.13	0.0900	बंजड़		
		1859	0.38	0.2180	चा.उ. जा.अउ.		
		1860	0.52	0.5200	चा.उ.		
		1861	0.01	0.01	गै.मू. ढाणी		
		1862	0.01	0.01	गै.मू. बेरा		
		1863	0.01	0.01	गै.मू. सड़ा		
		1864	0.01	0.01	गै.मू. सड़ा		
		1865	0.69	0.69	चा.उ. जा.अउ.		
		716	4.07	2.71	बा.प्र.		

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीया व प्रतिवादी संख्या 1/1 से 12 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमोया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादीया व प्रतिवादी संख्या 1/1 से 12 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 18.01.2023 को जारी की गई।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला-जालोर

मुद्द्ई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	2	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	1	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीप्जर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	मौजाना	5	00